निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 17 पटना, बुधवार, 7 वैशाख 1938 (श0)
27 अप्रील 2016 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-4
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	5-7

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

अधिसूचना
21 मार्च 2016

सं० कारा/स्था0 (अधी0)–01–05/2008–1835—बिहार कारा सेवा के निम्नांकित काराधीक्षकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं०	काराधीक्षक का नाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4	5
1.	श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी, बिहार कारा सेवा	हजारीबाग (झारखंड)	अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना	उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय (अपने ही वेतनमान में)
2.	श्री रूपक कुमार, बिहार कारा सेवा	खगड़िया	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी	अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना। (अधीक्षक, शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ का अतिरिक्त प्रभार)
3.	श्री मनोज कुमार, बिहार कारा सेवा	बेगुसराय	अधीक्षक, मंडल कारा, समस्तीपुर	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी
4.	श्री नन्द किशोर रजक, बिहार कारा सेवा	पटना	अधीक्षक के रूप में नवप्रोन्नत	अधीक्षक, मंडल कारा, समस्तीपुर

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के आलोक में बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार सौंपते हुए विरमित होकर नव पदस्थापन स्थल पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचना

30 मार्च 2016

सं० 1/स्था०(विविध)–39/2015–2636/वि०––श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सेवा निवृत्त, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग (पे बैण्ड–37,400–67,00+गेड पे–10000) के पद पर उनके पदभार ग्रहण की तिथि से मनोनयन के आधार पर संविदा पद दो वर्षो के लिए नियोजित किया जाता है।

2. उक्त नियोजना की अवधि में श्री सिन्हा को मासिक मानदेय की राशि उनके सेवा निवृत्ति की तिथि को प्राप्त अंतिम वेतन+मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+मंहगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि होगी, वही प्राप्त होगा, परन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 6––571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग,

कार्यालय ओदश
12 अप्रील 2016

सं0 प्र03 / एम0–09 / 2014 / 54–––विभागीय आदेश सं0 32 सहपठित ज्ञापांक 1101(ई0), दिनांक 28.02.2014 द्वारा क्रम सं0–23 पर अंकित मो0 शम्स आलम, पिता–मो0 निजामुद्दीन, ग्राम+पो0–कब, भाया–बिक्रम, जिला–पटना, बिहार, पिन नं0 801104 को कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर पथ प्रमंडल, छपरा में पदस्थापित किया गया है।

मो0 आलम ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 28.03.2014 द्वारा विरमित होने की प्रत्याशा में योगदान समर्पित किया। विभागीय पत्रांक 3257 (एस) दिनांक 28.04.2014 द्वारा उनके अनुरोध के आलोक में उन्हें योगदान करने हेतु पत्र निर्गत की तिथि से एक माह (30 दिन) का अवधि विस्तार दिया गया। अवधि विस्तार की अंतिम तिथि 28.05.2014 के पश्चात भी वे कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 981 दिनांक 20.08.2014 द्वारा मो0 आलम से कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निवास के पते पर पत्राचार किया गया, परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई भी सूचना कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मो0 आलम की नियुक्ति की तिथि 28.02.2014 से अभी तक 02 (दो) वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक विभाग में योगदान नहीं दिया गया है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर मो0 शम्स आलम की नियुक्ति रद्द की जाती है।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 6—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि0को0(अधी0)–01–12/2015–2112

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग

संकल्प

6 अप्रील 2016

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक मंडल कारा, आरा सम्प्रति निलंबित (अन्य मामले में) के मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान कारा में मोबाईल, चार्जर एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा विचाराधीन बंदी दानी यादव द्वारा मोबाईल से रंगदारी माँगे जाने की घटना में उनके द्वारा कर्त्तव्य में कोताही एवं लापरवाही बरती गई है।

श्री सिंह का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, आरा सम्प्रति निलंबित (अन्य मामले में) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री संजय कुमार चौधरी, अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव।

सं० कारा/रा0प०–03/2008–2259

संकल्प

12 अप्रील 2016

श्री के0 पी0 पिंगुआ, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया सम्प्रति मंडल कारा, गोपालगंज के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2004–05 में बिना निविदा प्रकाशित किये ही खाद्य सामग्रियों के क्रय में अनियमितता बरतने के प्रतिवेदित आरोप के लिए गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में गृह (विशेष) विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1249 दिनांक 02.02.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के पत्रांक 889 दिनांक 01.09.2011 से प्राप्त आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पिंगुआ के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 2910 दिनांक 03.06.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री पिंगुआ से उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री पिंगुआ ने अपने पत्रांक 1125 दिनांक 07.07.2014 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में उल्लेख किया है कि निविदा निकालने में वरीय पदाधिकारियों के असहयोग के कारण प्रक्रियात्मक चूक अवश्य हुई, परन्तु सरकारी राशि की क्षति या वित्तीय दुरूपयोग नहीं हुई है। सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थान यथा बिहार राज्य खाद्य निगम एवं कारा महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित दरों पर ही सामग्रियों की आपूर्ति ली गई। लिपिकीय एवं गुणनात्मक भूलवश 4602.50/– (चार हजार छः सौ दो रूपया पचास पैसे) का अधिक भुगतान हो गया तथा इसमे कोई Malafied Intension नहीं था। उस दौरान हरी सब्जी का क्रय पूर्व के ही स्वीकृत दरों पर किया गया था।

आरोप–पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पिंगुआ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि पिंगुआ के द्वारा सामग्रियों के क्रय के निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री पिंगुआ के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की गई।

वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् निम्न दंड निरूपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

(i) श्री पिंगुआ द्वारा अधिक भुगतान की गयी राशि 4,602.50/– (चार हजार छः सौ दो रूपये पचास पैसे) रूपये की वसूली उनके वेतन से किया जा सकता है।

(ii) यद्यपि बिना निविदा के हरी सब्जी का क्रय किया गया जिसके विरूद्ध 3,03,317/– (तीन लाख तीन हजार तीन सौ सतरह) रूपये का भुगतान किया गया था परन्तु समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि सब्जी की आपूर्ति की गई थी लेकिल इसे क्रय करने में वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। अतः कुल लागत 3,03,317/– (तीन लाख तीन हजार तीन सौ सतरह) रूपये के विरूद्ध एक तिहाई राशि जो लगभग 1,00,000/– (एक लाख) रूपये होता है उसकी वसूली 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से चार माह में वसूली किया जा सकता है।

(iii) वर्त्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से तीन वेतन वृद्धि घटाकर वेतन अवनति का दण्ड दिया जा सकता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा।

उपर्युक्त विनिश्चय दंड–iii के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 7162 दिनांक 07.12.2015 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2962 दिनांक 29.02.2016 द्वारा प्रस्तावित दंड पर सहमति संसूचित की गयी है।

चूँकि श्री पिंगुआ दिनांक 30.04.2016 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अतः दंड संख्या–(ii) का अनुपालन उनके सेवा काल में नहीं हो पायेगा।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री के0 पी0 पिंगुआ, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया सम्प्रति मंडल कारा, गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) श्री पिंगुआ द्वारा अधिक भुगतान की गयी राशि 4,602.50/– (चार हजार छः सौ दो रूपये पचास पैसे) रूपये की वसूली उनके वेतन से किया जाय।

(ii) विनिश्चय किये गये वसूली योग्य राशि 1,00,000/– (एक लाख) रूपये की वसूली श्री पिंगुआ की सेवानिवृत्ति के पश्चात् इनको देय उपादान की राशि से की जाय।

(iii) वर्त्तमान वेतनमान में सम्प्रति देय वेतन से तीन वेतन वृद्धि घटाकर वेतन अवनति का दण्ड दिया जा सकता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा।

उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 6—571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in